



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230484
CG-DL-E-18102021-230484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3913]
No. 3913]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4260(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 2058, तारीख 28.05.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 28.05.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-346 के कि.मी. 0+000 से 87+000 कि.मी. तक (झरखेड़ा बैरसिया से विदिशा मार्ग) (तहसील - विदिशा) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने / चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "नव दुनिया" में मंगलवार 13 जुलाई, 2021 और "फ्री प्रेस" में रविवार 11 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में राजमार्ग संख्या NH-346 के कि.मी. 0+000 से 87+900 कि.मी. तक (झरखेड़ा बैरसिया से विदिशा मार्ग) (तहसील - विदिशा) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: विदिशा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: विदिशा				
	गांव का नाम: खामखेड़ा कस्बा				
1	34	निजी	सिंचित	0.087	कोकसिंह मोहर सिंह पुत्रगण सुरजन सिंह शिलाबाई भागवती बाई बेटी सुरजन सिंह 4/5 भाग गीता बाई बेवा गोविंद सिंह, सतीश, देवेन्द्र, पुत्रगण गोविंद सिंह 1/5 भाग का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.62 (३४)
2	35	सरकारी	चरनोई	0.027	मध्य प्रदेश सरकार (३५)
3	37/1	सरकारी	चरनोई	0.158	मध्य प्रदेश सरकार (३७/१)
4	37/2	निजी	सिंचित	0.11	देव चंद पुत्र मोती व सीमा सुनीता रजनी पुत्री मोती साजनबाई बेवा मोती सामान भाग पता निवास ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व 5.00 (३७/२)
5	38/1	निजी	सिंचित	0.191	कोकसिंह पुत्र सुरजनसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व। १६.८१ (३८/१)
6	38/2	निजी	सिंचित	0.21	राजकुमार पुत्र दीवानसिंह निवासी ग्राम भूमि

					स्वामी भु राजस्व। 11.31 (३८/२)
	गांव का नाम: बरौ				
7	364	निजी	सिंचित	0.027	बद्रीनारायण पुत्र शिव प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व। विलमुक्ता 111.60 (३६४)
8	368	निजी	सिंचित	0.086	रक्षा पत्नी डॉ महेन्द्र उपाध्याय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व। 56.64 (३६८)
9	369/2	निजी	सिंचित	0.011	बलवीरसिंह पुत्र उधम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व। 350/2 (३६९/२)
10	376	निजी	सिंचित	0.031	रामकालीबाई पुत्री रामरतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व। २५१ (३७६)
11	377	निजी	सिंचित	0.062	कपिल कुमार पुत्र मधुसूदन व गुड्डि भारती सीमा रचना पुत्री मधुसूदन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व। 34.90 (३७७)
12	384	निजी	सिंचित	0.007	नारायण सिंह पुत्र हीरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व (३८४)
13	473	सरकारी	चरनोई	0.025	मध्य प्रदेश सरकार (४७३)
	गांव का नाम: सलाई खेड़ी				
14	294	निजी	सिंचित	0.45	नीरज पिता मूरतसिंह पता निवासी ग्राम विदिशा भू-स्वामी भू-राजस्व 9.00 (२९४/१/१)
15	294	निजी	सिंचित	0.314	नितिन पिता मूरतसिंह पता निवासी ग्राम विदिशा भू-स्वामी भू-राजस्व 9.00 (२९४/१/२)
16	294	निजी	सिंचित	0.106	अर्जुन नाबालिक पुत्र उपेंद्र संरक्षक पिता स्वयं भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम विदिशा भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.00 (२९४/१/३)
17	295	सरकारी	चरनोई	0.016	मध्य प्रदेश सरकार (२९५)
18	296	निजी	सिंचित	0.278	हलके पुत्र गजिता फूलबाई पत्नी हलके पता निवासी धाननेर पाही भूमि स्वामी

					अहस्तानतार्णी भु राजस्व। 3.00 (२९६)
19	297	निजी	सिंचित	0.314	नितिन पुत्र मुरतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भु राजस्व। २९४/१/२ (२९७)
20	299	सरकारी	चरनोई	0.042	मध्य प्रदेश सरकार (२९९)
			कुल	2.552	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

S.O. 4260(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 2058 dated 28.05.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four-Laning, etc.) Maintenance, management and operation of **NH-346** on the stretch of land from Km. **0+000** to **87+900** Km. in (**Jharkheda-Berasia to Vidisha-Road**) (Tehsil-Vidisha) in the district of **Vidisha**, in the state of **MADHYA PRADESH**;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Nav Duniya**” **13 July, 2021 Tuesday**; And “**Free Press**” **11 July, 2021 Sunday**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

Or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0+000 to 87+900 Km. (Jharkheda Berasia to Vidisha Road) (Tehsil-Vidisha) Of the NH-346 in the district of Vidisha, in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: VIDISHA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vidisha					
Village: Khamkheda Kaswa					
1	34	Private	irrigated	0.087	Koksingh Mohar singh Putragan Surjan singh Shilabai Bhagwati bai Daughter Surjan Singh 4/5 part Geeta bai Beva Govind Singh, Satish, Devendra, Putragan Govind singh 1/5 Part Address Resident Village Land Owner Land Revenue 1.62 34
2	35	Government	charnoi	0.027	Madhya Pradesh Government 35
3	37/1	Government	charnoi	0.158	Madhya Pradesh govt. 37/1
4	37/2	Private	irrigated	0.11	Dev Chand S/o Moti V Seema Sunita Rajni D/o Moti Sajanbai Bewa Moti Saman Bhag Pata Niwashi Gram Bhumi Sawami Bhu. Rajaswa. 5.00 37/2
5	38/1	Private	irrigated	0.191	Koksingh S/o Surjansingh Pata Niwasi Gram Bhumi Sawami Bhu Rajaswa. 16.81 38/1
6	38/2	Private	irrigated	0.21	Rajkumar S/o Diwansingh Niwasi Gram Bhumi Sawami Bhu Rajaswa. 11.31 38/2
Village: Barro					
7	364	Private	irrigated	0.027	BadriNarayan S/o Shiv Prasad Pata Niwasi Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa. Bilmukta 111.60 364
8	368	Private	irrigated	0.086	Raksha W/o Dr. Mahendra Upadhya Pata Niwasi Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa. 56.64 368
9	369/2	Private	irrigated	0.011	Balveersingh S/o Uddham Singh Pata Niwasi Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa. 350/2 369/2
10	376	Private	irrigated	0.031	Ramkalibai D/o Ramratan Pata Niwasi

					Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa. 251 376
11	377	Private	irrigated	0.062	Kapil Kumar S/o Madhusudan v Guddi Bharti Seema Rachna D/o Madhusudan Pata Niwasi Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa. 34.90 377
12	384	Private	irrigated	0.007	Narayan Singh S/o Heeralal Pata Niwasi Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa 384
13	473	Government	charnoi	0.025	Madhya Pradesh Government 473
Village: Salai Khedi					
14	294	Private	irrigated	0.45	Neeraj Father Mooratsingh Address Resident Village Vidisha Land Owner Land Revenue 9.00 294/1/1
15	294	Private	irrigated	0.314	Nitin Father Mooratsingh Address Resident Village Vidisha Land Owner Land Revenue 9.00 294/1/2
16	294	Private	irrigated	0.106	Arjun Nabalik son Upendra Sanrakshak father Swayam land Owner Address Resodent Village Vidisha Land owner Land Revenue 9.00 294/1/3
17	295	Government	charnoi	0.016	Madhya Pradesh govt. 295
18	296	Private	irrigated	0.278	Halke S/o Gajita Phoolbai W/o Halke Pata Niwasi Dhanner pahi Bhumi Swami Ahastantarni Bhu Rajaswa. 3.00 296
19	297	Private	irrigated	0.314	Nitin S/o Muratsingh Pata Niwasi Gram Bhumi Swami Bhu Rajaswa. 294/1/2 297
20	299	Government	charnoi	0.042	Madhya Pradesh govt. 299
			TOTAL	2.552	

[F. No. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3D1]

RAJESH GUPTA, Director